

छत्तीसगढ़ शासन,  
जल संसाधन विभाग,  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर—अटल नगर

क्र. 5619 / एफ-2-107/31/एस-2/2021,

नवा रायपुर, दिनांक 18/11/2022

प्रति,

मुख्य अभियंता,  
महानदी परियोजना,  
जल संसाधन विभाग,  
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- रायपुर जिले के विकासखण्ड—अभनपुर की टीला एनीकट के जल प्रदाय हेतु वितरक शाखा क्र.-16 के 5600 मी. पर एवं परसदा माईनर में आर.डी. 200 मी. पर हेड रेगुलेटर निर्माण कार्य एवं वितरक शाखा क्र.-16 के 12000 मी. पर पुलिया निर्माण कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ :- शासन का पत्र क्र.-3033 / एफ-2-107/31/एस-2/2021, नवा रायपुर, दि. 21.06.2022.


—00—

राज्य शासन एतद् द्वारा रायपुर जिले के विकासखण्ड—अभनपुर की टीला एनीकट के जल प्रदाय हेतु वितरक शाखा क्र.-16 के 5600 मी. पर एवं परसदा माईनर में आर.डी. 200 मी. पर हेड रेगुलेटर निर्माण कार्य एवं वितरक शाखा क्र.-16 के 12000 मी. पर पुलिया निर्माण कार्य हेतु लागत राशि रु. 155.40 लाख (रु. एक करोड़ पचपन लाख चालीस हजार) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण—पत्र शासन को दिया जावे।
3. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग—एक के नियम—10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
4. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या—23, जल संसाधन विभाग, लेखा शीर्ष 4700—वृहद् सिंचाई पर पूंजी परिव्यय [02]—महानदी परियोजना समूह, {800}-अन्य व्यय, 0101—राज्य आयोजना (सामान्य) (2898) बांध तथा संलग्न कार्य #26—वृहद् निर्माण कार्य, 005—बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
5. वित्त विभाग द्वारा उनके जावक क्रमांक—1056 / सी.एन. 31—00376 / बजट—2 / वित्त / चार / 2022, दिनांक 11.11.2022 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
6. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
7. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
8. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

  
(प्रेमसिंह धरन्द्र)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

/जल संसाधन विभाग

...2

पृ.क्र. 5620 / एफ-2-107/31/एस-2/2021,

नवा रायपुर, दिनांक 18/11/2022

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
4. सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
5. सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
8. कलेक्टर, जिला—रायपुर (छ.ग.)।
9. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर।
11. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.—एम 4-22 अटल नगर।
12. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट, कार्यालय प्रमुख अभियंता, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर—अटल नगर।
13. अधीक्षण अभियंता, महानदी मंडल रायपुर, जिला—रायपुर (छ.ग.)।
14. कार्यपालन अभियंता, जल प्रबंध संभाग क्रमांक-01, रायपुर, जिला—रायपुर (छ.ग.)।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
15. आदेश फोल्डर।

  
अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
जल संसाधन विभाग  
